

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
102/2014	212, RTA	कडैयाहाट	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
मिथलेशबाई	बनाम	शान्तिबाई	

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

3-9-14

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया, रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी को सुना गया, रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी गण को जर्जे अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कडैयाहाट तह0 छबड़ा के ख0नं0 472 रकबा 07.05 बीघा, ख0नं0 473 रकबा 08.16 बीघा, ख0नं0 512 रकबा 01.04 बीघा, ख0नं0 514 रकबा 03 बिस्वा, ख0नं0 515 रकबा 01.18 बीघा, ख0नं0 516 रकबा 04.07 बीघा भूमि, के हिस्सा 1/8 पर जबाव पेश होने तक यथास्थिति बनाये रखें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे, अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 27.10.2014 को पेश हो।

*(Handwritten signature)*

27-10/14

अप्री पीठारीन अधिकाारी के दारे / अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 27-12-14 को पेश हो।  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा बारा

12/14

अप्री पीठारीन अधिकाारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 20/11/15 को पेश हो।  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा बारा

27/15

अप्री पीठारीन अधिकाारी के दारे / अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 6/10/15 को पेश हो।  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा बारा

6/15

वकील फरीकेन उपस्थित/पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मुकाम के पास वास्ते दिनांक 10/11/15 को पेश हो।

27/15

अप्री पीठारीन अधिकाारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 20-11-15 को पेश हो।  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा बारा

20/15

न्यायालय फरीकेन अवाप हेतु लक्षण चढा रात स्वतंत्र आदेश को बडाते हेतु वास्ते आता

24/15

बिप्रात दिनांक 24/8/15 को उक्ता पत्रावली अप्री पीठारीन अधिकाारी के दारे / अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 24/8/15 को पेश हो।  
 अप्री पीठारीन अधिकाारी के दारे / अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 10/11/15 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा बारा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा बारा

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक

17/11/15

आज पीछाशीत अधिकारी के दौरे / अवकाश पर होने के कारण पता नों पर वक्त स्थिति में दिनांक 12/12/15 को परा हो।

रीटर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

9/12/15

बहुसंख्यक पता व दस्ता खुली गयी, वास्तव निर्णय दिनांक 12/12/15 को परा हो।

12/12/2015

पत्रावली भाग शहरीय लोक अदालत न्यायालय हाजा पर प्रेशा हुई, बहल पर मनन किया एवं पत्रावली का अखिलोपन किया, रात दिनांक 31/11/15 को न्यायालय हाजा द्वारा अपील फास्ट ट्रैक प्रीप्रासा अग्रणी गण को अग्रणी प्रेशा होने तक प्रवास्थिति बनाये रखने ठक निर्देशित किया गया है, अग्रणी गण द्वारा इन प्रार्थना पत्र का अपील तक भी अवलोकन प्रेशा नहीं किया है। अतः विवादिन अग्रणी ग्राम कंडाहाट तहसील खण्ड नं- 472, 473, 512, 514, 515, 516 के हिस्सा 1/8 पर रात दिनांक 31/11/15 को दिजे गये स्वयंसेवा आदेश को ता फिलहाल मूल वाद तक किया जाता है।

अतः अग्रणी गण को अपील फास्ट ट्रैक प्रीप्रासा ता फिलहाल मूल वाद तक धावत किया जाता है, राजस्व रेकार्ड एवं भौतिक अग्रणी प्रवास्थिति बनाये रखे। प्रकरण सह प्रार्थना पत्र 212 RTA फिलहाल अग्रणी हाकर दायित्व प्रकृत हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

पत्रावली भाग  
उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा जिला बारा